न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/988/2004/बून्दी

मु0 धापू बेवा मथुरालाल मीना (फौत) जरिये वारिसान
1 मोरपाल पुत्र मथुरालाल (मृतक) जरिये वारिसान
1/1 राजेश पुत्र मोरपाल
1/2 रामप्रकाश पुत्र मोरपाल
1/3 बदामबाई पत्नी मोरपाल सभी जाति मीणा निवासी बालापुरा
1/4 शकुन्तला बाई पुत्री मोरपाल पत्नी महेन्द्र कुमार विासी कोटाखुर्द
2 बजरंगी पत्नी मदनलाल मीणा निवासी छण्डपुरिया
3 कोशल्या पत्नी रामदेव मीना निवासी आजन्दा
4 सुमित्राबाई पत्नी रामस्वरूप मीणा निवासी घट का बराना तहसील इन्द्रगढ

अपीलार्थीगण

बनाम

1 गोबरिया पुत्र मथुरालाल जरिये वारिसान
1/1 रामबिलास पुत्र गोबरिया
1/2 बृजमोहन पुत्र गोबरिया
2 भवंरलाल पुत्र मथुरालाल मीणा सभी निवासी बालापुरा तहसील केशोराय पाटन
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केशोराय पाटन
4 राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक केशोराय पाटन

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री आर.के.शर्मा वकील अपीलार्थीगण
श्री ईश्वर देवडा वकील प्रत्यर्थी 1व 2
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः.03.01.2020

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 50/99 में पारित निर्णय दिनांक 16.12. 2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण संख्या 1व 2 ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढीमली की आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 27 बीघा 7 बिस्व एवं ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 104, 238, 272, 330 कुल किता 4 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजीयात वादीगण के पिता स्व0 मथुरा के खातेदारी की भूमि हैं। मथुरा के मरने के बाद वादीगण 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हुए। प्रतिवादी संख्या 1 मुं0 धापू वर्तमान अपीलार्थी काविवाह ग्राम नीमखेडा निवासी सुखदेवजी मीणा के साथ सम्पन्न हुआ एवं उनसे उनके एक पुत्र मोरपाल पैदा हुआ जिसके साथ वह ग्राम बालापुरा में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। विकल्प में मु0 धापू को मथुरा की नातायत पत्नी मानी भी जावे तो भी मु0 धापू को समस्त हक व अधिकार उसके पूर्व के वास्तविक पति सुखदेव की सम्पति में मिलेगा। मथुरा की सम्पति में किसी प्रकार कोई हक व अधिकार नहीं है। परन्तु मथुरा की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेख में मु0 धापू का नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकार प्रभावित होते हैं एवं वह 1/3 हिस्सा बेचान आदि करने पर आमादा है। अतः वाद डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जबाब दावा बन्द किया एवं निर्णय दिनांक 23.7.99 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 16.12. 2002 से खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादी अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। यह स्पष्ट है कि मु0 धापू स्व. मथुरा की पत्नी थी एवं मथुरा की मृत्यु के समय उसके साथ ही रहती थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं पुराना हिन्दु ला के प्रावधानों के अनुसार पति की मृत्यु पर पत्नी को भी बराबर का हक व हिस्सा प्राप्त होगा। अधीनस्थ न्यायालयों ने 30 वर्ष से अधिक समय से दर्ज खातेदारी अधिकारों को बिना किसी समुचित आधार के निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि मु0 धापू विगत 30 वर्ष से सह खातेदार दर्ज चली आ रही है जिससे अब यदि वादीगण के कोई अधिकार बनते भी थे तो वे समाप्त हो जाते हैं। विद्वान अभिभाषक ने आर.एल.डब्ल्यू. 2002 राज. पेज 565 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर तर्क दिया कि पुराने हिन्दु कानून की धारा 143 के अनुसार मीना जाति में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को प्रथम श्रेणी की वारिस होने से पति की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें। मु0 धापू का स्वर्गवास

दिनांक 30.3.11 को होने से कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र लगाया जो दिनांक 24.12.11 को वकुलाय की सहमति से स्वीकार हुआ। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया है। जबाब प्रस्तुत करने हेतु बार बार अवसर दिया गया परन्तु जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जबाब बन्द किया। मथुराजी मीना जाति के व्यक्ति थे तथा मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं बल्कि पुराने रिति रिवाज ही लागू होते हैं जिनके अनुसार स्त्री को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि मु0 धापू सुखदेवजी की पत्नी थी एवं उनसे एक पुत्र मोरपाल हुआ जिसके साथ मु0 धापू रहती थी। यदि मथुरा के नाते आना माना जावे तो भी उसे पूर्व पति की सम्पति में ही हक हिस्सा मिल सकता है, नाते आने से मथुरा की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं मिल सकता। अधीनस्थ न्यायालयों ने फिर भी भरण पोषण किये जाने का आदेश निर्णय में दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पुराने हिन्दु ला के अनुसार सम्पति में पुत्रों की मौजूदगी के कारण मु0 धापू को मथुरा की भूमि में हिस्सा दिया जाना विरूद्ध माना है।

7. यह स्पष्ट है कि मथुरा की मृत्यु के समय मु0 धापू मथुरा के साथ रहती थी। वादी प्रत्यर्थीगण ने भी विकल्प के रूप में नाते आना माना है। मथुरा की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार कर वादी संख्या 1 व 2 गोबरिया व भंवरलाल के साथ साथ मु0 धापू को भी खातेदार दर्ज किया है। यह इन्द्राज 30 वर्ष से अधिक पुराना है एवं इस इन्द्राज को 30 वर्ष पश्चात गोबरिया व भवंरलाल द्वारा वाद के द्वारा चुनौति दी गई है। इतनी लम्बी अवधि बाद यदि वादीगण के कोई अधिकार बनते भी थे तो वह अधित्यज (WAIVE) होकर समाप्त हो जाते हैं।

8. इसके साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यू. 2002 राज. पेज 565 में राजस्व मण्डल की माननीय खण्ड पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मुला की हिन्दु विधि के सिद्धान्त की धारा 143 के

अनुसार विधवा प्रथम श्रेणी की वारिस है। पुरानी हिन्दु विधि के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति (मीणा जाति) के खातेदार की विधवा को अपने पति (खातेदार) की मृत्यु के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार खातेदार मथुरा की मृत्यु के बाद उसकी विधवा मु0 धापू को खातेदारी अधिकार पुत्रों के साथ प्राप्त होगें। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात में मुं0 धापू का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है जो न्यायोचित होने से हम यह अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं।

9. इसके सासथ ही विद्वान सहायक कलक्टर ने भरण पोषण देते रहने का आदेश दिया है तथा प्रथम अपील में आदेश यथावत रहा है। भरण पोषण हेतु पाबन्द करना दोनों न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से आदेश का यह अंश क्षेत्राधिकार से बाहर होने से कोई बल नहीं रखता है और निरस्त करने योग्य है। इस संबंध में दांडिक विधि के प्रावधानों तथा सामाजिक विधान पर दृष्टिपात उचित रहेगा जो माता पिता तथा संतान के पारस्परिक विधिक दायित्वों (बाध्यताओं) को प्रकट करते है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 317 माता– पिता व देखरेख करने वाले पर शिशु को अरक्षित, डालने व परित्याग करने पर दण्ड का प्रावधान लिए है, वहीं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 माता पिता एवं संतान के लिए भरण पोषण के आदेश का विधिक प्रावधान लिए हुए है। वर्तमान में नवीन सामाजिक विधान में माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, 2007 तथा राजस्थान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण नियम 2010 में इस हेतु विधिक प्रावधान है और सोतिया रिश्ता होने पर तथा सम्पति पर कब्जा रखने वाले तथा वारिस होने वाले रिश्तेदार पर भी विधिक बाध्यताए हैं। यह सब प्रावधान विधि द्वारा प्रवर्तन योग्य है तथा पुराने हिन्दु विधि के उक्त प्रावधान 143 के आलोक में यद्यपि इन सब को देखने पर उपरोक्त न्याय निर्णय अनुसार यद्यपि अपीलार्थी वारिस थी तथापि तर्क के लिए यह माने कि अपीलार्थी विरासत नहीं ले सकती थी तो तीस वर्ष के मौन के दृष्टिगत यह वादीगण द्वारा माता को दी एक भेंट थी जो स्त्रीधन हो गई। ऐसी स्थिति में वादीगण किन्हीं विधिक प्रावधानों को दुष्प्रयोजन हेतु दुर्भावना से प्रयुक्त नहीं कर सकते है। वादीगण ने ऐसा किया है जो कि विधि के उक्त दावा दायरी से पूर्व के तथा पश्चात में वादकरण के दौरान प्रभाव में आए प्रावधानों को विफल करने तथा वृद्ध माता को अशक्त व पराश्रित करने व उनकी सदैच्छा पर जीने हेतु बाध्य करने हेतु किया है जो विधि के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। तथा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा उसके प्रवर्तन हेतु विधिक प्रावधानों तथा स्त्री के विधिक अधिकारों से विमुखता को प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने वाद द्वारा कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 16.12.2002 तथा सहायक कलक्टर, केशोरायपाट का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.7.99 निरस्त किये जाते हैं। तदनुसार वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य